स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.51/8/वीवीपीएटी/2018/ईएमएस **दिनांक : 1 मार्च, 2018**

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) सिस्टम सहित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के प्रयोग के अनुदेश - तत्संबंधी।

संदर्भ.
1. आयोग का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस, दिनांक 05/12/2017
2. आयोग का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस, दिनांक 20/12/2017
3. आयोग का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी-अनुदेश/2018-ईएमएस, दिनांक 13/2/2018

महोदय/महोदया,

मुझे उद्धृत संदर्भ के अधीन आयोग के पत्रों के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ राज्यों ने मतगणना से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण मांगा है:

1. यदि उन मतदान केन्द्रों जहां एक से अधिक वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया है, के संदर्भ में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के मतों की गणना किया जाना अपेक्षित है तो ऐसे मामलों में क्या प्रत्येक वीवीपीएटी की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना एक-एक करके की जाएगी या उस मतदान केन्द्र में प्रयोग की गई सभी वीवीपीएटी की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को मिलाकर गणना की जाएगी।
2. क्या प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खंड के एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिए उन मतदान केन्द्र (केन्द्रों) को भी यादृच्छिकीकरण के लिए शामिल किया जाना है जिनकी वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना कंट्रोल यूनिट (यूनिटों) से परिणाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण या निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56 (घ) के अधीन पहले ही कर ली गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि

i. यदि उन मतदान केन्द्रों, जहां एक से अधिक वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया है, के संदर्भ में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के मतों की गणना किया जाना अपेक्षित है तो ऐसे मामलों में प्रत्येक वीवीपीएटी की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना अलग से एक-एक करके की

जाएगी और प्रत्येक वीवीपीएटी का परिणाम फार्म 17ग से संलग्न अनुबंध VII (प्रत्येक वीवीपीएटी के लिए अलग अनुबंध VII का प्रयोग किया जाएगा) में प्रविष्टि की जाएगी। तत्पश्चात उस मतदान केन्द्र के सभी परिणामों को एकत्र करते हुए एक अंतिम परिणाम पत्र तैयार किया जाएगा और इसे फार्म 17ग से संलग्न भी किया जाएगा।

टिप्पणी:- आयोग के दिनांक 05/12/2017 के पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस के अनुबंध-VII को वापिस ले लिया गया समझा जाएगा। अब से, इस अनुदेश के साथ संलग्न संशोधित अनुबंध-VII का प्रयोग किया जाएगा।

ii. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र/ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खंड के एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिए उन मतदान केन्द्र (केन्द्रों) जिनकी वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना कंट्रोल यूनिट (यूनिटों) से परिणाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण या निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 56 (घ) के अधीन या जो भी कारण हो, पहले ही कर ली गई है, को इस प्रयोजनार्थ यादृच्छिकरण हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

अनुबंध-VII

फार्म 17ग के भाग-II का अनुबंध

मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती का परिणाम

मदतान केन्द्र संख्या_________ प्रयोग की गई वीवीपीएटी की कुल संख्या ________________

वीवीपीएटी की विशिष्ट आई डी_______________

अभ्यर्थी का क्रम सं.	**अभ्यर्थी का नाम**	**वीवीपीएटी की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती के अनुसार मतों की संख्या**	**भाग I की मद 5 के अनुसार घटाए जाने वाले टेस्ट मतों की संख्या**	**वैध मतों की संख्या (3-4)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

कुल

क्या ऊपर दर्शाये गये मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल खाती है या दोनों कुल संख्याओं के मध्य कोई विसंगति देखी गई है (हां/नहीं)

स्थान......................

दिनांक....................

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेन्ट/गणना एजेन्ट का नाम पूर्ण हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

स्थान......................

दिनांक....................

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर